

पत्रांक: ईएलएस-08/2019 -6047

पटना, दिनांक 29 जुलाई, 2019 ई०।

प्रेषक,

रत्नेश झा,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद।

विषय:- लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के दौरान चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त जिला बल के सिपाही 6098, पंकज कुमार की रेल दुर्घटना में मृत्यु के उपरांत अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति दिये जाने के कारण उनकी पत्नी मो० सरिता कुमारी को ₹15,00,000/- (पन्द्रह लाख रुपये) मात्र का भुगतान किये जाने के कारण ₹10,00,000/- (दस लाख रुपये) मात्र का भुगतान किये जाने की सूचना के क्रम में शेष राशि ₹5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) मात्र का प्रतिवेदन इस विभाग को प्रेषित करने के संबंध में।


प्रसंग:- आपका पत्रांक 245 (मु०)/ निर्वा० दिनांक 24.06.2019 एवं विभागीय पत्रांक 5851 दिनांक 16.07.2019.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का कृपया संदर्भ किया जाये। प्राप्त पत्र में जिला बल के सिपाही 6098, पंकज कुमार के अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति दिये जाने के कारण उनकी पत्नी मो० सरिता कुमारी को ₹10,00,000/- (दस लाख रुपये) मात्र का भुगतान किये जाने की सूचना दी गयी है। पुनः विभागीय पत्रांक 5851 दिनांक 16.07.2019 द्वारा ₹5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) मात्र का भुगतान कर इसकी सूचना इस विभाग को भी प्रेषित करने की कृपा की जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।

विश्वासभाजन




(रत्नेश झा)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 6047

पटना, दिनांक 29 जुलाई, 2019 ई०।

प्रतिलिपि :- उप निर्वाचन पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(रत्नेश झा)

संयुक्त सचिव।